



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**12.10.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के विरुद्ध दिनांक 09.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी ने दिनांक 08.10.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया है, जिसके अंतर्गत रायपुर स्थित ₹9.06 करोड़ मूल्य की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इस मामले में उन्हें ईडी द्वारा 11.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ईओडब्ल्यू/एसीबी), रायपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अनिल टूटेजा, अनवर डेबर, अरुणपति त्रिपाठी, कवासी लखमा और अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी। जांच से पता चला कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान एक शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग तथा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) को नियंत्रित किया और देशी शराब की आपूर्ति पर अवैध कमीशन (भाग-क), सरकारी दुकानों के माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम वाली बेहिसाबी शराब की बिक्री (भाग-ख), डिस्टिलरों से वार्षिक कमीशन (भाग-ग) तथा विदेशी शराब के लिए एफ एल-10ए लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से ₹2,883 करोड़ से अधिक की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की।

ईडी की जांच से पता चला है कि सिंडिकेट द्वारा उत्पन्न नकदी का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल द्वारा संभाला जाता था और रामगोपाल अग्रवाल के निर्देशों पर रायपुर के शंकर नगर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय, राजीव भवन में पहुंचाया जाता था। सिंडिकेट से जुड़े व्यक्ति यह नकदी लेकर आते थे और राजीव भवन में रामगोपाल अग्रवाल के अधीन कार्यरत लेखाकार देवेन्द्र दादसेना को सौंपते थे। जांच से पता चला है कि शराब घोटाले से संबंधित लगभग ₹860 करोड़ से ₹880 करोड़ की नकदी इस माध्यम से पहुंचाई गई थी। इसमें से लगभग ₹72 करोड़ की राशि रामगोपाल अग्रवाल के नियंत्रण में रही, जिसे उनके निर्देशों पर अपने पास रखा गया, उपयोग किया गया अथवा वितरित किया गया। सिंडिकेट के समकालीन डिजिटल अभिलेखों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड तथा पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज बयानों से नकदी पहुंचाने की इस प्रक्रिया और उसमें उनकी भूमिका की पुष्टि होती है। रायपुर के अनुपम नगर और कटोरा तालाब स्थित उनके दो फ्लैट, जिनका मूल्य ₹9.06 करोड़ है, को समतुल्य मूल्य की संपत्ति के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

इस मामले में इससे पहले ईडी ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष एक अभियोजन शिकायत तथा छह पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की थीं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनिल टूटेजा, अनवर डेबर, अरुणपति त्रिपाठी और चैतन्य बघेल सहित नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा ₹601.28 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को कुर्क, जब्त अथवा फ्रीज किया गया था। वर्तमान कुर्की के साथ यह कुल राशि लगभग ₹610.34 करोड़ हो गई है। अपराध से अर्जित आय के अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।